रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 6 मई, 2005/16 वैशाख, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

कुल्लू, 8 अप्रैल, 2005

संख्या पी० सी० एच० (कु०) कारण बताओ/त्याग पत्र-800-804.—एतद्द्वारा श्रीमती रक्षा देवी, ग्राम पंचायत भालसी, तहसील निरमण्ड, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के खण्ड (ण) की ओर आकृष्ट किया जाता है जो निम्नतः है :—

"(ण) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान है परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम नियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के पश्चात और सन्तान नहीं होती।"

388-राजपत्र/2005-6-5-2005—1,436. मूल्य : एक रुपया।

अतः क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है अर्थात् 8 जून, 2001 के पश्चात यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के जिसके इस प्रावधान के लागू होने के पूर्व दो या दो से अधिक सन्तान है तथा उक्त प्रावधान लागू होने के पश्चात अतिरिक्त सन्तान या सन्तान उत्पन्न होती है तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा।

खण्ड विकास अधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू ने अपने पत्र संख्या 139 दिनांक 17-1-2005 द्वारा अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया गया है कि आपके तीसरी सन्तान जून, 2001 के पश्चात उत्पन्न हुई है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त प्रावधान के दृष्टिगत क्यों न आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1991 की धारा 131 (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाए।

आर० डी० नजीम,
उपायुक्त कुल्लू,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी जिला मण्डी (हि० प्र०)

कारण बताओ नोटिस

मण्डी, 25 अप्रैल, 2005

संख्या पी० सी० एन-एम एन डी-/2000-1799-1803.—यह कि ग्राम पंचायत धलारा, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी (हि० प्र०) के विकास कार्यों के सम्बन्ध में की गई शिकायत की जांच पंचायत निरीक्षक धर्मपुर व अंकेक्षक (पंचायत) के माध्यम से संयुक्त रूप से करवाई गई। उक्त कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि श्री पृथी पाल, प्रधान ग्राम पंचायत धलारा द्वारा ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में सरकारी धनराशि का छलहरण किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र० सं०	कार्य का नाम	पंचायत द्वारा व्यय राशि	कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कार्य का मूल्यांकन	अधिक व्यय
1	2	3	4	5
1.	बावड़ी ठारा नाला	5,000/-	1501/-	3499/-
2.	बावड़ी अप्पर बल्ह	15,010/-	6855/-	8155/-
3.	पक्का रास्ता लोअर-धलारा	40,001/-	27,456/-	12,545/-
4.	पक्का रास्ता	40,001/-	31,710/-	8,291/-
			कुल योग :	32,490/-

उपरोक्त विवरणिका में पंचायत द्वारा संधारित अभिलेख अनुसार तथा कनिष्ठ अभियंता द्वारा किए गए विकास कार्यों के मूल्यांकन अनुसार मु० 32,490/-रुपये की सरकारी धनराशि का छलहरण किया गया है।

2. कार्यवाही पुस्तिका से छेड़छाड़.—जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही रजिस्टर पृष्ठ संख्या 52, दिनांक 7-6-2002 पर छेड़छाड़ की गई है तथा पृष्ठ संख्या 82, दिनांक 7-4-2003 को कार्यवाही बन्द करने उपरान्त प्रस्ताव संख्या 4 व 5 पंचायत सदस्यों की सहमति के बिना डाल कर कार्यवाही पुस्तिका में छेड़छाड़ की गई है।

अतः मैं, अली रजा रिजवी (भा0 प्र0 से0) उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री पृथी पाल, प्रधान, ग्राम पंचायत धलारा, विकास खण्ड धर्मपुर को एतद्द्वारा नोटिस जारी करता हूं कि इस कारण बताओ नोटिस का उत्तर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित रूप में 15 दिनों के भीतर-भीतर प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम, 1997 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी।

मण्डी, 25 अप्रैल, 2005

संख्या: पी सी एन-एम0 एन डी-1804-09.—यह कि जिला मण्डी के विकास खण्ड धर्मपुर की ग्राम पंचायत धर्मपुर द्वारा निष्पादित विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं बारे प्राप्त शिकायत पत्र की छानबीन उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सरकाघाट द्वारा की गई। उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सरकाघाट से प्राप्त छानबीन रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित निम्न वर्णित विकास योजनाओं का मौका पर मूल्यांकन कनिष्ठ अभियन्ता, विकास खण्ड धर्मपुर से करवाने पर इन योजनाओं का मूल्य व्यय राशि से कम आंका गया है। जिसके लिए श्री जगदीश चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत धर्मपुर व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी है:—

क्रम सं0	कार्य का नाम	शीर्ष	स्वीकृत राशि	पंचायत को जारी राशि	पंचायत द्वारा व्यय राशि	कार्य का पंचायत द्वारा मूल्यांकन	अधिक व्यय दर्शाया गया
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	निर्माण बावड़ी छापणू	जे0 जी0 एस0 बाई0	—	10000/-	10000/-	4187/-	5813/-
2.	मुरम्मत बावड़ी से टरड	-यथो-	—	8781/-	8781/-	5859/-	2922/-
3.	मुरम्मत प्रा0 पा0 धर्मपुर	एन0 सी0 आर0	30000/-	28000/-	28000/-	5185/-	22815/-
4.	मुरम्मत प्रा0 पा0 कल-स्वाल	-यथो-	30000/-	26000/-	26000/-	10463/-	15537/-
5.	निर्माण बावड़ी मैथी बनवार	एम0 पी0 एल0 ए0	25000/-	23000/-	23000/-	9840/-	13160/-
6.	निर्माण बावड़ी छापणू	-यथो-	25000/-	23000/-	23000/-	8016/-	14984/-
7.	निर्माण पक्का रास्ता स्येहह रोड़ से शमशानघाट काण्डा पतन।	-यथो-	50000/-	45000/-	45000/-	21853/-	23147/-
8.	निर्माण लिंक रोड़ सतरेहड़ से छापणू।	एन0 सी0 आर0	50000/-	35000/-	35000/-	29655/-	5345/-
9.	मुरम्मत पंचायत घर धर्मपुर	जे0 जी0 एस0 बाई0	—	18782/-	18782/-	6177/-	12605/-
						योग ..	116328/-

इस प्रकार कनिष्ठ अभियंता बिकास खण्ड, धर्मपुर द्वारा उपरवर्णित निर्माण योजनाओं का मूल्य व्यय राशि से मु0 1,16,328/-रुपये कम आंका गया है । जिससे स्पष्ट है कि उक्त प्रधान द्वारा मु0 1,16,328/-रूपये की राशि का दुरुपयोग किया गया है । अतः श्री जगदीश चन्द प्रधान, ग्राम पंचायत धर्मपुर का प्रधान पद पर बने रहना जनहित में उचित प्रतीत नहीं होता ।

अतः मैं, अली रजा रिजवी (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, (हि0 प्र0) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जगदीश चन्द, प्रधान ग्राम पंचायत धमपुर, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को एतद् द्वारा निर्देश देता हूं कि वे उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत करें, अन्यथा यह माना जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है तथा उनके विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम 1997 के प्रावधानों के अन्तर्गत आगामी कार्यवाही आरम्भ कर दी जाएगी ।

अली रजा रिजवी,
उपायुक्त ।
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित